लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3511
उत्तर देने की तारीखः 10.12.2019

अनुसूचित जातियों को मूलभूत सुविधाएं

3511. श्री गुमान सिंह दामोरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का रतलाम लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में बिजली, पेयजल, सड़कें और सामुदायिक भवन जैसी बुनियादी सुविधएं प्रदान करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इन सुविधओं को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): रतलाम लोक सभा संसदीय क्षेत्र में विशेष रूप से एससी बहुल्य बस्तियों में बिजली, पेयजल, सड़कें तथा सामुदायिक भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय 50% से अधिक की एससी आबादी वाले अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों के समग्र विकास के लिए 2009-10 से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में चुने हुए एससी बहुल्य गांवों को ऐसी सभी अवसंरचनात्मक तथा मूलभूत सेवाएं प्रदान करना परिकल्पित किया गया है जो गरिमामय जीवन जीने के लिए उनके निवासियों के लिए आवश्यक हैं, ताकि ऐसा वातावरण तैयार हो सके जिसमें सभी अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने में समर्थ हों। 2018-19 में कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है और इसके अनुसार इस योजना का उद्देश्य चुने गए गावों में 10 प्रक्षेत्रों नामत: पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क और आवास, बिजली तथा स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजीटलीकरण, आजीविका तथा कौशल विकास के तहत 50 पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक निगरानी योग्य संकेतकों के संबंध में आवश्यकता का मूल्यांकन करने से उत्पन्न अंतर को पूरा करना है। रतलाम जिले में क्रमश: 2018-19 और 2019-20 में प्रत्येक वर्ष कुल 10 गांवों को चुना गया है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****